आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-110/2023

किरण कुमारी.....वादी

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य.....विपक्षीगण

01.07.2024

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No. 10967/22 में दिनांक 20.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

"....Granting liberty to the petitioner to approach the Divisional Commissioner with regard to this grievances of issuance of the license, these are the respondent No.-9. The writ petition is dismissed as withdrawn."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला गोपालगंज के सदर अनुमंडल के अन्तर्गत रिक्त जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति के लिए जिला आपूर्ति शाखा, समाहरणालय, गोपालगंज द्वारा प्रखंड सिधवलिया, पंचायत-कुशहर, रोस्टर बिन्दु-738 विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में आवेदिका श्रीमती किरण कुमारी, पति राघेश्याम प्रसाद, विपक्षी सं0- 04, रितु कुमारी, पति-चुन्नु कुमार एव अन्य अभ्यर्थियों द्वारा नई P.D.S अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक वरीयता सूची तैयार की गयी जिसमें आवेदिका किरण कुमारी, क्रम सं0- 01 पर तथा विपक्षी रितु कुमारी क्रम सं0- 02 पर रही है। औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन कर उक्त के संबंध में अभ्यर्थियों से दावा-आपति की मांग की गयी। दावा-आपति निराकरण के पश्चात् अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें क्रम सं0-01 पर रही रितु कुमारी के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा की गयी। उक्त के विरुद्ध आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C No. 10967/2022 दायर किया गया जिसमें दिनांक 20.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. आवेदिका के विद्वारा अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि

Scanned with OKEN Scanner

औपबंधिक वरीयता सूची में आवेदिका किरण कुमारी, पति राधेश्याम प्रसाद क्रम सं0-01 पर तथा विपक्षी क्रम सं0-04, रितु कुमारी क्रम सं0-02पर रही। परन्तु अंतिम वरीयता सूची में विपक्षी क्रम सं0-04, रितु कुमारी को क्रम सं0-01 पर रखते हुए नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसित किया गया है। जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के विरूद्ध है।

4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि औपबंधिक वरीयता सूची में रितु कुमारी का मैट्रीक अंक पत्र/प्रतिशत का कॉलम खाली है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी, रितु कुमारी द्वारा अपूर्ण आवेदन समर्पित किया गया था, ऐसे में उनका आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि आवेदिका द्वारा 15 माह का कम्प्यूटर कोर्स किया गया है, जबकि विपक्षी द्वारा किया गया कम्प्यूटर कोर्स मात्र छः माह का है, इस क्रम में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मैट्रिक, इंटर में आवेदिका का प्राप्तांक विपक्षी से अधिक रहा है साथ ही आवेदिका द्वारा 15 माह का कम्प्यूटर कोर्स किया गया है, परन्तु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा केवल स्नातक में अधिक प्राप्तांक होने के आधार पर विपक्षी का चयन कर लिया गया है, जो नियम विरूद्ध है। उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि आवेदिका का मैट्रिक, इंटर में अधिक प्राप्तांक रहा है तथा उनकी कम्प्यूटर योग्यता भी विपक्षी से अधिक रही है, ऐसी स्थिति में **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 के कंडिका 9(v)** के आलोक में आवेदिका नई पी0डी0सी0 अनुज्ञप्ति हेतु उपर्युक्त अभ्यर्थी है।

उपर्युक्त के आधार पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला स्तरीय चयन समिति, गोपालगंज के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करते हुए आवेदिका के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश दिया जाय।

5. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदिका के कथन का खंडन किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि पंचायत-कुशहर, रोस्टर बिन्दु-738, आरक्षण कोटि-पिछड़ा वर्ग महिला हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार औपबंधिक वरीयता सूची में उनके मैट्रिक अंक/प्रतिशत अंकित नहीं किया गया था साथ ही स्नातक में उन्हे प्राप्तांक प्रतिशत 68.50 को त्रुटिवश 58.50 दर्शाया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा आपति भी दिया गया था। दावा-आपति निराकरण के क्रम में उनके दावा को सत्य पाया गया है। तत्पश्चात आवश्यक संशोधन के पश्चात अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया है, जिसमें विपक्षी सं0-04, रितु कुमारी, पति-चुन्नु कुमार को क्र0स0-01 पर रहने तथा अन्य अर्हता पूर्ण करने के कारण नई P.D.S अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसित किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला स्तरीय चयन समिति, गोपालगंज द्वारा पारित आदेश **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(V)** में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप है, अतएव इसे यथावत रखा जाए।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के संबंध में बताया गया कि प्रखण्ड-सिधवलिया, पंचायत-कुशहर, रोस्टर बिन्दु-738, आरक्षण कोटि-पिछड़ा वर्ग की महिला हेतु जन वितरण प्रणाली दुकानों के अनुज्ञप्ति के आवंटन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। उक्त विज्ञापन प्रकाशन के आलोक में आवेदिका किरण कुमारी, पति-राधेश्याम प्रसाद, विपक्षी-रितु कुमारी, पति-चुन्नु कुमार एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक वरीयता सूची तैयार की गयी जिसमें आवेदिका किरण कुमारी पति-राधेश्याम प्रसाद, क्र0सं0-01 पर तथा विपक्षी रितु कुमारी, पति-चुन्नु कुमार क्र0सं0-02 पर रहे है। औपबंधिक वरीयता सूची एवं विभिन्न कारणों से अस्वीकृत आवेदन पक्षों की सूची का प्रकाशन कर उक्त के संबंध में अभ्यर्थियों से दावा-आपत्ति की मांग दिनांक 14.12.2019 से दिनांक 30.12.2019 तक की गयी। प्राप्त दावा-आपत्ति पर सभी आपत्तिकर्त्ता एवं जिनके विरूद्ध आपत्ति प्राप्त था उन्हे सूचना निर्गत कर दिनांक 14.01.2020 को उभय पक्ष को सुना गया। तत्पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति का निष्पादन **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण संशोधन आदेश-2016** में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया गया। दावा-आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें विपक्षी-रितु कुमारी, पति चुन्नु कुमार क्र0सं0-01 पर तथा आवेदिका किरण कुमारी, पति-राधेश्याम प्रसाद, क्र0सं0-02 पर रहे है। अंतिम वरीयता सूची में क्र0सं0-01 पर रहने एवं वांछित अर्हता को पूर्ण करने के कारण विपक्षी सं0-04 का चयन नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि दावा-आपत्ति निष्पादन के पश्चात प्रकाशित अंतिम वरीयता सूची के आधार पर आवेदिका एवं विपक्षी से संबंधित विवरण निम्नांकित है:-

क्र0 स0	अभ्यर्थी का नाम/ पति का नाम	जन्मतिथि	मैट्रिक का प्राप्तांक/ प्रतिशत	कम्प्यूटर योग्यता	उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता /प्रतिशत
1	रितु कुमारी, पति-चुन्नु कुमार (विपक्षी)	08.03.1993	159/31.8%	D.C.A	GRADUATION (68.50%)
2	किरण कुमारी, पति-राधेश्याम प्रसाद (आवेदिका)	16.08.1993	293/58.6%	D.C.A	GRADUATION (66.88%)

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदिका एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं अंतिम वरीयता सूची का अवलोकन किया।

Scanned with OKEN Scanner

अभिलेख के सम्यक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि औपबंधिक वरीयता सूची के विषय में प्राप्त दावा-आपत्ति का निष्पादन कर अंतिम वरीयता सूची तैयार किया गया है। अंतिम वरीयता सूची में विपक्षी रितु कुमारी को इस आधार पर क्र0सं0-01 पर रखा गया है कि वे आवेदिका से अधिक उम्र की है। चूँकि आवेदिका एवं विपक्षी का कम्प्यूटर एवं शैक्षणिक योग्यता समान है ऐसे में **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 9(v)** के आलोक में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जानी है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से विपक्षी रितु कुमारी, पति चुन्नु कुमार का चयन रोस्टर बिन्दु 738 पंचायत कुशहर, प्रखण्ड सिधवलिया, जिला गोपालगंज अन्तर्गत नई पी0डी0सी0 अनुज्ञप्ति हेतु किए जाने को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner